

प्रेषक,

ए0पी0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1- आयुक्त
खाद्य तथा रसद विभाग
जवाहर भवन लखनऊ। | 2- उप सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी,
खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा
उ0प्र0 शासन। |
| 3- उप सचिव(लेखा)
इरलाचेक अनुभाग
उ0प्र0 शासन। | |

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 14 जून 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0- 21 के लेखाशीर्ष 2408-

खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) के मानक मद सं0-'52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) के अधीन धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-5/2018/ वे0आ0-2-330/ दस-2018-04(एम)/2016 दिनांक 18-5-2018, वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग के पत्रांक- ले0शा0/458/पु0वे0एरि0(ब0)/2018 दिनांक 4-6-2018, उप सचिव, खाद्य तथा रसद अनुभाग (लेखा) के पत्र सं0-241/29-1-2018(लेखा)/2018 दिनांक1-6-2018 तथा उप सचिव (लेखा) इरलाचेक अनुभाग के पत्र सं0-2066/बीस-इरला-2018 दिनांक 4-6-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 के विपणन व आपूर्ति शाखा के अधिष्ठान, कोलकाता स्थित स्थानित प्रतिनिधि कार्यालय, उ0प्र0 शासन संचरण निदेशालय, उ0प्र0, खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा उ0प्र0 शासन के समस्त स्टाफ एवं शासन स्तर पर खाद्य तथा रसद प्रमुख सचिव शाखा में कार्यरत श्रेणी "क" के अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतन का अवशेष पर होने वाले व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये कुल धनराशि रू0 1177.03 लाख (रू0 ग्यारह करोड सतहत्तर लाख तीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-21

लेखाशीर्षक 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-

01-खाद्य-

001-निदेशन तथा प्रशासन-

03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)

(धनराशि लाख रूपये में)

मद संख्या व मानक मद का नाम	खाद्यायुक्त मुख्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों हेतु आवंटित धनराशि	शासन स्तर पर खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा 30प्र0 शासन में कार्यरत स्टाफ हेतु आवंटित धनराशि	खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा 30प्र0 शासन में कार्यरत श्रीणी "क" के अधिकारियों हेतु इरलाचेक को आवंटित धनराशि	योग
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1027.03	80.00	70.00	1177.03

3- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-5/2018/ वे0आ0-2-330/ दस-2018-04(एम)/2016 दिनांक 18-5-2018 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार तथा शासनादेश सं0-17/2018/795/29-3-2017-ब 707/17 दिनांक 10-4-2018 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
- 4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड उ०प्र० इलाहाबाद।
- 5- स्थानिक प्रतिनिधि, स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय द्वितीय तल 12 ए नेताजी सुभाष रोड कोलकाता।
- 6- वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन उ०प्र० लखनऊ।
- 7- उप सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त कालम-3 में उल्लिखित धनराशि तक ही व्यय सीमित रखा जाय।
- 8- उप सचिव (लेखा), इरलाचेक अनुभाग उ०प्र० शासन।
- 9- अनुभाग अधिकारी लेखा अनुभाग खाद्य एवं रसद विभाग उ०प्र० शासन।
- 10- कोषाधिकारी कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।
- 11- वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-2 उ०प्र० शासन।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 उ०प्र० शासन।
- 13- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए०पी० त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।